रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 22, 1972/माघ 2, 1893

No. 33] **NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 22, 1972/MAGHA, 2, 1893**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(*Posts and Telegraphs Board*)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 1972

G.S.R. 54(E).—In exercise of the powers conferred by sections 10 and 74 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Post Office (Third Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into farce on the first day of February, 1972.

2. In rule 5 of the Indian Post Office Rules, 1933 (hereinafter referred to as the said rules),—

(1) The word "Ceylon", wherever it occurs [otherwise than in item (A) of the entries under the heading "Printed Papers (Including Newspapers and Books)"], shall be omitted;

(2) Under the heading "Printed Papers (including Newspapers and Books)", after item (A), the following item shall be inserted, namely:—

"(AA) For Ceylon, in the case of newspapers which, for the purpose of Inland Post, are treated as "Registered Newspapers", the rates of postage shall be as follows:—

(a) In the case of a single copy—

For a weight not exceeding 100 grams	..	10 paise
For a weight exceeding 100 grams, but not exceeding 250 grams.	..	15 paise
For every additional 250 grams or fraction thereof	..	5 paise

(b) In the case of more copies than one of the same issue carried in the same packet—

For a weight not exceeding 100 grams	..	10 paise
For every additional 150 grams or fraction thereof	..	10 paise."

3. In the proviso to rule 50 of the said rules, the word "Ceylon" shall be omitted.

4. In rule 71 of the said rules and the Note thereunder, the word "Ceylon", wherever it occurs, shall be omitted.

5. In rule 85 of the said rules—

(i) for the heading "FOR INSURANCE OF ALL POSTAL ARTICLES TO PAKISTAN AND OF LETTERS AND BOXES TO CEYLON", the heading "FOR INSURANCE OF ALL POSTAL ARTICLES TO PAKISTAN" shall be substituted;

(ii) for the heading "FOR INSURANCE OF PARCELS TO CEYLON AND OF ALL POSTAL ARTICLES TO FOREIGN COUNTRIES OTHER THAN THOSE MENTIONED ABOVE", the heading "FOR INSURANCE OF ALL POSTAL ARTICLES TO FOREIGN COUNTRIES OTHER THAN PAKISTAN" shall be substituted".

L. K. NARAYANSWAMY,
Senior Member (Posts) & *Ex-officio* Spl. Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1972

सा० का० नि० 54(अ).—भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 10 तथा 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय डाकघर नियम, 1933 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय डाकघर (तीसरा संशोधन) नियम, 1972 होगा।

(2) ये पहली फरवरी, 1972 को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय डाकघर नियम, 1933 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5 में :–

(1) "श्री लंका" शब्द, जहां कहीं भी वह आता हो ["मुद्रित कागज (जिनमें समाचारपत्र तथा पुस्तकें सम्मिलित हैं)" शीर्ष के नीचे की प्रविष्टियों की मद (क) से अन्यथा] लुप्त किया जाएगा;

(2) "मुद्रित कागज (जिनमें समाचारपत्र तथा पुस्तकें सम्मिलित हैं)" शीर्ष के नीचे मद (क) के पश्चात निम्नलिखित मद अन्त: स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(कक) श्री लंका के लिए, समाचारपत्रों के मामले में, जिन्हें अन्तर्देशीय डाक के प्रयोजन के लिए, "रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्रों" के रूप में समझा गया है, डाक महसूल की दरें निम्नलिखित होंगी :—

(क) **एकल प्रति की दशा में** :—

	पैसे
100 ग्राम वजन से अधिक न हो . . .	10
100 ग्राम से अधिक किन्तु 250 ग्राम से अधिक न हों .	15
प्रत्येक अतिरिक्त 250 ग्राम अथवा उसके अंश के लिए .	5

(ख) **उसी अंक की एक ही पकेट में भेजी गई एक से अधिक प्रतियों की दशा में**:—

	पसे
100 ग्राम वजन से अधिक न हो . . .	10
प्रत्येक अतिरिक्त 150 ग्राम अथवा उसके अंश के लिए .	10

(3) उक्त नियम के नियम 50 के परन्तुक में "श्री लंका" शब्द का लोप किया जाएगा

(4) उक्त नियम के नियम 71 तथा उसके नीचे की टिप्पणी में "श्री लंका" शब्द का, जहां कहीं भी वह आता हो, लोप किया जाएगा ।

(5) उक्त नियम क नियम 85 में :—

( ) "पाकिस्तान के लिए सभी डाक वस्तुओं तथा श्रीलंका के लिए पत्रों त पेटियों के बीमा के लिए "शीर्ष के स्थान पर" पाकिस्तान के लिए सभी डाक वस्तुओं के बीमा के लिए" शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) "श्री लंका के लिए पार्सलों तथा ऊपर उल्लिखित विदेशों से भिन्न विदेशों को सभी डाक वस्तुओं के बीमा के लिए "शीर्ष के स्थान पर" पाकिस्तान से भिन्न विदेशों को सभी डाक वस्तुओं के बीमा के लिए" शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं० 1–28/71-आर]

ल० कृ० नारायणस्वामी,

ज्येष्ठ सदस्य (डाक) तथा पदेन

विशेष सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972